578

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

अतिआवश्यक

क्रमांक:प-2(4)राज/6/90/37 जयपुर, दिनांक 13-12-91

प्रेषित:-उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर।

भू प्रबंध आयुक्त जयपुर

समस्त जिला कलेक्टर्स।

-:परिपत्र:-

विषय:-मन्दिर देव मूर्ति की खातेदारी भूमि में देव मूर्ति के साथ पुजारी के नाम के संबंध में।

1- यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता रहा है कि जिन मन्दिरों की निजी भूमि है उनके संबंध में देव मूर्ति के नाम के साथ पुजारी या शिवायत के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड (जमा बन्दी) में होना चाहिए अथवा अलग से इस प्रयोजन हेतु बनाये गये किसी अन्य रिकार्ड में। देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है तथा देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस बिन्दु का विधि विभाग से भी परीक्षण कराया गया तथा विधि विभाग ने इस पर उपरोक्त राय से सहमति व्यक्त की है।

2- जमाबन्दी अभिलेख रिकार्ड आफ राइट्स अर्थात रिकार्ड आफ टैनेन्सी राइट्स है जिसकी प्रविष्टि से कृषक के काश्तकारी अधिकार की अवधारणा प्रतिपादित होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जमाबन्दी में केवल काश्तकारी कानून में कृषक के अधिकार ही दर्ज किये जाते हैं। मन्दिर का पुजारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति किस के द्वारा की जावेगी तथा उसकी मृत्यु पर उत्पन्न उत्तराधिकार आदि के विवाद का हल किस प्रकार होगा यह पूर्णतया दीवानी मामले है जो केवल दीवानी न्यायालयों के कार्य क्षेत्र में आते हैं तथा वही इन्हें तय करने में सक्षम है। इनका संबंध न तो राजस्व रिकार्ड से है और न ही यह राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

3- राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व की वसूली इत्यादि कार्यवाही की सुविधा के हिसाब से पुजारी का नाम भी देव मूर्ति के नाम के साथ जमाबन्दी में लिखने की परम्परा चली आ रही है जबकि सही स्थिति यह है कि पुजारी या शिवायत का नाम जमाबन्दी में अंकित नहीं होना चाहिए। जमाबन्दी में ऐसे इन्द्राजों का गत वर्षों में काफी दुरुपयोग किया गया है। देवमूर्ति की भूमि की खातेदारी कई पुजारियों ने अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करवाली है तथा पुजारियों द्वारा हजारों अवैध हस्तान्तरण/[illegible] हुए है जिससे [illegible] मूर्ति

बाजी बढ़ी है । ऐसे अवैध हस्तान्तरणों/बेचानों को निरस्त करने हेतु अनगिनत "रेफरेन्स" राजस्व मण्डल को किये गये हैं व किये जा रहे हैं ।

4. पुजारी या शिवायत का सेवा पूजा का यदि कोई अधिकार है तो वह एक दीवानी अधिकार है जिसका संबंध दीवानी न्यायालय है । राजस्व कानूनों अथवा काश्तकारों के अधिकारों से उसका कोई संबंध नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदार के साथ पुजारी या शिवायत का नाम लिख जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :-

1) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावे ।

2) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मन्दिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे। जिसमें जिन मन्दिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावें ।

3) जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहाँ भी पुजारी का नाम आता है वहाँ पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावें । इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे ।

5. यह निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

6. इन निर्देशों की पालना दि0 31-1-92 तक अवश्य की जानी चाहिए तथा इसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवावे

7. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना भिजवायें ।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 समस्त सम्भागीय आयुक्त ।
2 पंजीयक राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ।
3 समस्त भू-प्रबंध अधिकारी ।
4 समस्त राजस्व अपील अधिकारी।
5 निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।

उप शासन सचिव